प्रेषक,

करूणेश कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 10 जून, 2021***

विषय:- जिला कारागार, सीतापुर में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी बाबू पुत्र श्री रामभरोसे, निवासी जनपद-सीतापुर की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-27411/प्रोबे0-5-दया0 बैठक 28.09.2020, दिनांक 02.11.2020 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार बन्दी बाबू पुत्र श्री रामभरोसे, ग्राम सुल्तानपुर, थाना-रामकोट, जनपद-सीतापुर का निवासी है। पुरानी रंजिश को लेकर दिनांक 27.06.1998 को 04 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर हथगोले, मतंचा, बन्दूक व बांका से मारकर 01 व्यक्ति की हत्या कारित की गयी (2) पुरानी रंजिश को लेकर दिनांक 10.11.2004 को 05 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर देशी राइफल व फरसा से मारकर 01 व्यक्ति की हत्या कारित की गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-109/1999 में भा0द0वि0 की धारा-307/34 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, फास्ट ट्रैक कोर्ट सं0-03, सीतापुर के आदेश दिनांक 30.09.2008 द्वारा आजीवन कारावास की सजा के दण्ड से दण्डित किया गया, (2) बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-281, 284 /2005 में भा0द0वि0 की धारा-147, 148, 352, 120बी, 302/149 व 25(1-बी) आयुध अधिनियम के अन्तर्गत मा0 न्यायालय सत्र न्यायाधीश, सीतापुर के आदेश दिनांक 11.11.2016 द्वारा आजीवन कारावास की सजा के दण्ड से दण्डित किया गया है। बन्दी द्वारा दिनांक 31.08.2020 तक 13 वर्ष 05 माह 27 दिन की अपरिहार सजा तथा 16 वर्ष 02 माह 03 दिन की सपरिहार सजा काटी गयी है। (2) बंदी द्वारा दिनांक 31.08.2020 तक 01 वर्ष 05 माह 25 दिन की अपरिहार सजा तथा 01 वर्ष 05 माह 25 दिन की सपरिहार सजा काटी गयी है। जिला मजिस्ट्रेट/पुलिस अधीक्षक, सीतापुर ने बंदी द्वारा किये गये अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित किये बिना व्यक्ति विशेष तक सीमित नहीं होने, भविष्य में अपराध करने अवसर होने की आख्या अंकित करते हुए बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। दयायाचिका समिति द्वारा बंदी द्वारा भोगी गयी सजा, कारित अपराध की प्रकृति एवं जिला मजिस्ट्रेट तथा अधीक्षक, सीतापुर द्वारा बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं किये जाने के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि जिला कारागार, सीतापुर में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी बाबू (बन्दी संख्या-6316/2004) पुत्र श्री रामभरोसे, निवासी जनपद-सीतापुर की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

करूणेश कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-96/2021/1055(1)/22-2-2020 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, जनपद-सीतापुर ।
2- अधीक्षक, जिला कारागार, सीतापुर।
3- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

कृष्ण कुमार सिंह
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in